

डिक्री बमुकदमें ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया पीठासीन
अधिकारी - जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या -

हरविन्द्रसिंह पुत्र केवलसिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. केवलसिंह पुत्र जगरूपसिंह 2. सुखपाल कौर पत्नी केवलसिंह 3. हरजिन्द्रकौर
पुत्री केवलसिंह समस्त जाति जटसिख निवासीयान संतपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) 4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणात्मक हक व तकसीम खाता

राजस्व वाद सं. 383/2025

दिनांक 8-9-2025

निर्णय

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री
जसवीरसिंह एडवोकेट, मिन जामिन मुदई सुभाष परिहार एडवोकेट एवं मिन
जामिन मुदई राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुकम दिया
जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 2 के.एस.डी. जमाबंदी संवत्
2071-2074 के खाता सं. 24/19 एकल खाता में प्रति. सं.1 के नाम दर्ज कुल
खाता की 2.225 है. कृषि भूमि में से वादी 1.265 है. कृषि भूमि का
खातेदार-काश्तकार है। उक्त खाता से प्रति.सं. 1 की 1.265 है. कृषि भूमि कम
की जाकर वादी के नाम दर्ज की जाती है। वादी की कृषि भूमि का खाता
निम्नानुसार अलग कायम किया जाता है।

चक 2 केएसडी जमाबंदी संवत् 2071-74 खाता सं. 24/19

प.नं.

मु.नं.

किला नं.

164/121 70

6/1/.215 है., 6/2/0.038 है. गै.मु.रास्ता
7,8,14/.253 है. प्र.

15/1/.215 है.,15/2/0.038 है. गै.मु.रास्ता

कुल 1.265 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन
मुक्त होने पर इंतकाल दर्ज किया जावे।

निज मुब्लिक.......... बाबत खर्चा मुकदमें के मय
शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक
को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 8-9-2025
को जारी की गयी।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया